

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I - खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित



PUBLISHED BY AUTHORITY

र्सं • 75]

नई दि:लो, बुधवार, मई 1!, 1977 वसाख 21, 1899

No. 75]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 11, 1977 VA!SAKHA 21, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 11th May 1977

No. Drawback/PN-20/77.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extra-ordinary—dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971, as amended from time to time—

Sub-serial Nos 3610 and 3611 and the entries relating thereto shall be deleted.

2. For sub-serial No. 3612 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely -

3612 Cast Steel Components of Engineering Goods.

Rs. 200 00 (Rupees two hundred only) per tonne

3 Sub-serial No. 3613 and 3614 and the entries relating thereto shall be deleted.

Proviso below Sub-serial No. 3614 applicable to products mentioned at Sub-serial No. 3610 to 3614 shall also be deleted.

C. D. RANGACHARI, Dy. Secy.

राजस्य ग्रीर बैकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

सार्वजनिक मूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 1977

सं प्रतिश्रवायगी—सा॰ सूं 20'77—सीमाणुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन णुल्क प्रतिग्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपन्न, प्रसाधारण, दिनांक 25 ग्रगस्त, 1971 मे प्रकाशित प्रधिसूचना सं० 52/फा॰ सं० 602/2'70 प्र॰ ग्र०) के नियम 4 के प्रधीन, केन्द्रीय सरकार, समय समय पर यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना स॰ प्रतिग्रदायगी, सा॰ सू० 1, दिनांक 15 ग्रक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एत्द्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :--

उपक्रमांक 3610 भ्रौर 3611 तथा तत्संबधी प्रविष्टयो को निकाल दिया जाए,।

- 2. उपक्रमांक 3612 तथा तत्संबंधी प्रविष्टयो के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, ग्रंथीत् :--
- 3612 ढले हुए इस्पात से बने इंजीनियरी समान 200.00 ६० (केंबल दो सी रुपये) प्रति मीट्रिक के संघटक टन।
 - 3 उर- मनाक 3613 ग्रीर 3614 तथा तत्सं । धी प्रविष्टियों को निकाल दिया जाए ।

उपक्रमांक 3610 से 3614 पर निर्दिष्ट उत्पादो पर लागू उपक्रमाक 3614 के नीचे के परन्तु को भी निकाल दिया जाए।

सी० डी० रंगाचारी, उप-सचिव ।

महा प्रवन्धक, भारत सरकार मृद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मृद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977